(ख) क्या यह भी सच है कि उन में से एक व्यक्ति, जिस को जमानत पर दिल्ली जेल से रिहा कर दिया गया था, पुलिस विभाग के निगरानी कर्मचारियों की आंख में धूल झोंक कर पाकिस्तान पहुंच गया तथा अन्य दोनों व्यक्ति, उन के विरुद्ध की जाने वाली जांच-पड़ताल के दौरान गायब हो गये ;

(ग) यदि हां, तो इन अपराधियों का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) इस मामले में सम्बन्धित अधिकारियों ने जो असावधानी बरती क्या उस के बारे में कोई जांच की गई है ; और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) केवल एक ही व्यक्ति सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया था । एक और व्यक्ति पर तस्कर व्यापार के मामले में लगे होने का आरोप है । तीसरे के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि जो व्यक्ति पकड़ा जा कर जमानत पर छोड़ा गया था, वह बच कर पाकिस्तान को भाग गया है । दूसरा व्यक्ति जांच की प्रारम्भिक अवस्था में और उस के तस्कर व्यापार से सम्बन्धित होने के बारे में सबूत उपलब्ध होने से पहले, गायब हो गया था ।

(ग) अपराधियों का पता लगाने की चेष्टाएं की जा रही हैं ।

(घ) एक विभागीय जांच की गई थी और उसके परिणामस्वरूप एक सहायक उप-निरीक्षक का दर्जा घटाया गया और एक हैड कान्स्टेबल को नौकरी से निकाल दिया गया ।

Revenue on Gas and Carbide

1821-B. **Shri Gulshan:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Y. D. Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1171 on the 27th September, 1964 and state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration have not so far deleted gas and carbide from the registration certificates of many merchants in Delhi and there is a heavy loss to Government;

(b) if so, the action Government propose to take in the matter to prevent this loss of revenue; and

(c) whether Government have received any representation in this respect and if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

12.26 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICE
(*Query*)

अध्यक्ष महोदय : श्री मौर्य ।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . . .

श्री मौर्य (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए पहले से ही खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी साहब ठहर जायें । चूंकि यह पहले से खड़े हुए हैं इसलिए पहले उनको मैं सुन लूं ।

श्री मौर्य : मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न . . .

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैंने आपका कौलिंग अटेंशन नोटिस बुला लिया है ।

श्री मौर्य : मेरा वयवस्था का प्रश्न उसी से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा कहिये कि आपकी कौन सी व्यवस्था है ?

श्री मौर्य : 6 दिसम्बर, 1964 को रिपबलिकन पार्टी द्वारा चलाये अन्दोलन और सरकार द्वारा उसके वालिंटियर्स की देशव्यापी गिरफ्तारियों के बारे में मैंने एक कौलिंग अटेंशन नोटिस उस समय मूव किया था । सोलह तारीख को सुबह को मुझे यह बतलाया गया कि उसकी मंजूरी नहीं मिली । 17 तारीख को मुझे पता चला कि वहां राज्य सभा में उसकी स्वीकृति मिल गई है और अभी 18 तारीख को राज्य सभा में ठीक उसी प्रकार का एक कौलिंग अटेंशन मोशन स्वीकृत हुआ तो इस भेद के बारे में मैं श्रीमन्, यह व्यवस्था जानना चाहता था . . . . .

अध्यक्ष महोदय : ठीक है आपके इस व्यवस्था के प्रश्न में काफ़ी वज़न है और मैं आपसे इत्तफाक करता हूं । जो कुछ आपने शिकायत की है वह बिलकुल दुरुस्त है । लेकिन यह तो माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि दोनों हाउस अपनी अपनी कार्यवाही के मालिक हैं । अब यह हो सकता है कि एक चीज जिसे कि मैं मुनासिब न समझूं और उसके हाउस में पेश होने और विचार होने की इजाज़त न दूं और कहूं कि यह स्टेट मैटर है, वही मामला हो सकता है कि अगर वहां दूसरी जगह पर उठाया जाए तो वहां के प्रोसाइडिंग आफ़िसर दूसरा ख़याल करें और ऐसा अपनी विज़डम में समझे कि यह मामला हाउस में पेश करने की इजाजत देना चाहिए तो वह चीज़ उसके ख़याल के मुताबिक दुरुस्त ही होगी और किसी वक्त ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब कि दोनों में इत्तिफ़ाक न हों और यह दो तरह की कार्यवाही चले और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई चीज़ अजीब नहीं है । लेकिन मेरी तकलीफ़ यह है कि जब वही चीज़ जिसको मैं अपने यहां नामंजूर कर चुका हूं, वहां वह एडमिट हो जाती है तो मेरे पर नुक्ताचीनी होती है और आप उसको मूव करने की इतनी प्रबल इच्छा को देखते हुए मैंने उसे मंजूर कर लिया और आज उसे रख दिया है ।

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : यह पहला ही मामला नहीं है जब कि वही चीज़ जिसे आपने यहां नामंजूर कर दिया वहां उसे स्वीकार कर लिया गया और उसे पेश करने की इजाजत राज्य सभा में दे दी गई है तो यह कहां तक . . . .

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह कई दफ़ा हो चुका है और मैंने इसके लिए गवर्नमेंट को भी कहा है कि दोनों जगह एक तरह से कार्यवाही चले इसका वे ख़याल रखें लेकिन इसके आगे कुछ करना मेरे वश की बात नहीं है ।

Shri Kapur Singh (Ludhiana): I am afraid the precise point made by the hon. Member has been somewhat missed. The precise point is not that sometimes calling attention notices get admitted there and they do not get admitted here. But the precise point is that it almost invariably happens that some calling attention notices which are refused here are admitted there and it almost never happens that calling attention notices refused there get admitted here.

Mr. Speaker: If that is the opinion of the hon. Member, there may be something wrong with me.

Shri Kapur Singh: Not an opinion, Sir, but facts.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): If it is the case that it is on account of the Ministers respond-

[Shri H. N. Mukerjee]

ing in a different manner to the Rajya Sabha than to your summons, it is a serious matter. Previoussly you have been pleased to observe that there have been cases where on account of ministerial obstruction, you did not allow a calling attention notice. If that is the case, it is a serious matter.

Mr. Speaker: That was a different thing. It happened at that time and I had made that observation.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): If I heard you aright, Sir, you said: "मेरे वस की बात नहीं है" If I have followed what you said, the treasury benches are deliberately acting contrary to your directive or they ignore your directive. it comes to that and you are helpless in the matter. Then, how can parliamentary democracy work in this country, Sir?

Mr. Speaker: This is not the case. मेरा मतलब यह है कि बावजूद एक ही जवाब मिनिस्ट्री से आने के यह प्रिज़ाईडिंग आफ़िसर का अख्त्यार है कि वह उसको एडमिट कर ले या रिजेक्ट कर दे । एक ने उसकी सिफ़ारिश को मंजूर कर लिया और दूसरे ने नामंजूर कर दिया, तब तो फ़र्क हो सकता है । इसलिए मेरे वश की बात यह नहीं है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट जजमेंट एक्सरसाइज़ करना है और इसलिए हो सकता है कि अपनी समझ और अपने खयाल के मुताबिक वह समझें कि फलां चीज़ को आना चाहिए ।

श्री बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक ही किस्म के विचार और एक ही किस्म के कायदे से इस देश की इस उच्च संस्थो को चलना है, एक ही किस्म के कायदे-कानून से दो प्रधानों को चलना है । अगर एक ही कायदे-कानून के होते हुए दोनों अलग-अलग चलते हैं, तो यह तो कायदे में कमी है, या फिर उस बुनियाद में थोड़ा बहुत फ़र्क है, जो कि नहीं होनी चाहिए । मैं निवेदन करूंगा कि न तो लोक सभा में और न राज्य सभा में मंत्रियों की राय के बग़ैर कोई चीज़ मंजूर होती है । जैसे यह रिपब्लिकन पार्टी वाला प्रश्न गम्भीर प्रश्न था, सारे देश का प्रश्न था और सारे देश की जनता का प्रश्न था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने प्वाइंट आफ आर्डर को मुख्तसर तौर पर कहें । वह इसको इतना लम्बा न ले जायें ।

श्री बागड़ी : कम से कम मैं तो मुख्तसर में नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं छोटी बुद्धि का आदमी हूं और इसलिए ज़रा विश्लेषण करके कहना चाहता हूं । अगर आप थोड़े में समझ सकें, तो बात यह है कि एक विधान, एक कायदे-कानून के होते हुए अगर एक ही प्रश्न के बारे में दो प्रधानों की अलग अलग राय है, तो कहीं कमी है और जो पीछे करता है, उस में कमी है । वह कमी सारे सदन पर आती है । इसको रोकना बहुत ज़रूरी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह हो सकता है कि जो पीछे करता है, उस में कमी है । तो मुझ में कमी होगी । लेकिन मैंने कहा है कि मैं इस राय का था और मैंने यह फ़ैसला लिया कि यह नहीं आना चाहिए, लेकिन चूंकि उसके बाद मेम्बर साहबान यहां पर नुक्ता-चीनी करते हैं कि हमको मौका नहीं मिला, इसलिए सिर्फ़ इस लिहाज़ से मैंने कर दिया । मैंने यह नहीं कहा कि मेरी राय ग़लत थी ।

श्री बागड़ी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप का फ़ैसला जायज़ था, लेकिन नुक्ता-चीनी की वजह से आप ने गलत फ़ैसला कर लिया ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मुझे करना पड़ता है ।

श्री बागड़ी : आप खुद कमज़ोरी में आ कर कानून को तोड़ते हैं ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सिलसिले में सिर्फ़ एक जानकारी चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कहीं इस मामले में ऐसी अड़चन तो नहीं आती कि गृह मंत्री या दूसरे सम्बन्धित मंत्रालय स्वीकृति देने में रुकावट डालते हैं—"हां" "न" में देर लगाते हैं ।

12.33 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

AGITATION LAUNCHED BY THE REPUBLICAN PARTY ON 6-12-1964 AND THE COUNTRY-WIDE ARRESTS OF ITS VOLUNTEERS

Shri Maurya (Aligarh): I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

"Agitation launched by the Republican Party on the 6th December, 1964, and the country-wide arrests of its volunteers."

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): Sir, a satyagraha was started by the Republican Party of India on December 6, 1964 with a view to drawing the attention of the Government to its charter of demands. In the course of the satyagraha, workers of the party courted arrest by trying to enter Government Reserved Forests in different States and cutting the trees, and trespass into municipal or Government land and public places and buildings. Workers of the Party who violated the law or were likely to disturb the peace were arrested by the State Government but several of them have since been rleased.

The main demands of the party are: installation of a portrait of the late Dr. B. R. Ambedkar in the Central Hall of the Parliament, enjoyment of the land of the nation by actual tillers, allotment of possession of idle and waste land to landless labourers, adequate distribution of foodgrains and control over rising prices, improvement of the lot of slum-dwellers, full implementation of the Minimum Wages Act, 1948, extension of privileges guaranteed by the Constitution to such of these scheduled castes who have embraced Budhism, completion of reservation in services to scheduled castes and scheduled tribes by 1970 and proper enforcement of the Untouchability (Offences) Act, 1955. It will be observed that these demands deal with broad and general issues which cannot be decided on the spur of the moment. As the House is aware, Government has kept the interest of backward classes constantly in view and devoted considerable amounts to various schemes in this regard. The leaders of the Republican Party of India will, therefore, be well advised to take up these issues in a Constitutional mannner with the State Governments and the appropriate Ministry of the Union Government instead of adopting an agitational approach.

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । माननीय सदस्य का नाम आगे है ।

श्री बागड़ी : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं उस के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । आप एक मिनट सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । श्री मौर्य ।